

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, मधेपुरा।

पटना, दिनांक-15/3/15

विषय:- मधेपुरा नगर परिषद् क्षेत्र में ऑडोटोरियम निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत योजना को संशोधित करते हुए नये सिरे से योजना स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधेपुरा का पत्रांक- 55, दिनांक- 09.05.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मधेपुरा नगर परिषद् क्षेत्र में ऑडोटोरियम निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभागीय राज्यादेश संख्या- 71, दिनांक- 18.02.2014 एवं आवंटनादेश संख्या- 97, दिनांक- 18.02.2014 के क्रमांक- 2 द्वारा ₹249.06 लाख (दो करोड़ उनचास लाख छः हजार रु०) की योजना स्वीकृत करते हुए राशि आवंटित की गई थी। जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा उक्त योजना को संशोधित करते हुए 350 लोगों की क्षमता से बढ़ा कर 500 लोगों की क्षमता का ऑडोटोरियम निर्माण करने हेतु योजना की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक- 23.06.2015 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में पूर्व की स्वीकृत योजना को संशोधित करते हुए निम्नांकित योजना की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई जिसे माननीय मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है :-

(राशि लाख रु० में)

क्र०	नगर निकाय/कार्यकारी एजेंसी का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	नगर परिषद्, मधेपुरा	नगर परिषद्, मधेपुरा में 500 लोगों की क्षमता का ऑडोटोरियम निर्माण कार्य।	385.80	385.80

- योजना का कार्यान्वयन नगर परिषद्, मधेपुरा द्वारा किया जायेगा।
- तत्काल पूर्व से आवंटित राशि ₹249.06 लाख से कार्य आरम्भ किया जायेगा तथा 60% राशि के व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर अवशेष राशि आवंटित की जायेगी।
- अन्य शर्तें विभागीय राज्यादेश सं०- 71, दिनांक- 18.02.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 97, दिनांक- 18.02.2014 के अनुरूप मान्य होंगी।

विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, मधेपुरा।

पटना, दिनांक-

विषय:- मधेपुरा नगर परिषद् क्षेत्र में ऑडोटोरियम निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत योजना को संशोधित करते हुए नये सिरे से योजना स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधेपुरा का पत्रांक- 55, दिनांक- 09.05.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मधेपुरा नगर परिषद् क्षेत्र में ऑडोटोरियम निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभागीय राज्यादेश संख्या- 71, दिनांक- 18.02.2014 एवं आवंटनादेश संख्या- 97, दिनांक- 18.02.2014 के क्रमांक- 2 द्वारा ₹249.06 लाख (दो करोड़ उनचास लाख छः हजार रु०) की योजना स्वीकृत करते हुए राशि आवंटित की गई थी। जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा उक्त योजना को संशोधित करते हुए 350 लोगों की क्षमता से बढ़ा कर 500 लोगों की क्षमता का ऑडोटोरियम निर्माण करने हेतु योजना की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक- 23.06.2015 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में पूर्व की स्वीकृत योजना को संशोधित करते हुए निम्नांकित योजना की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई जिसे माननीय मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है :-

(राशि लाख रु० में)

क्र०	नगर निकाय/कार्यकारी एजेंसी का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	नगर परिषद्, मधेपुरा	नगर परिषद्, मधेपुरा में 500 लोगों की क्षमता का ऑडोटोरियम निर्माण कार्य।	385.80	385.80

- योजना का कार्यान्वयन नगर परिषद्, मधेपुरा द्वारा किया जायेगा।
- तत्काल पूर्व से आवंटित राशि ₹249.06 लाख से कार्य आरम्भ किया जायेगा तथा 60% राशि के व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर अवशेष राशि आवंटित की जायेगी।
- अन्य शर्तें विभागीय राज्यादेश सं०- 71, दिनांक- 18.02.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 97, दिनांक- 18.02.2014 के अनुरूप मान्य होंगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

/पटना, दिनांक- 15/7/15

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-07/2013 3649 /न०वि०एवंआ०वि०

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार पटना/विभागीय एम०आई०एस० सेल, इन्दिरा भवन, पटना को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2(बजट शाखा)/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।